

मुकदमा
132/2019

न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना जिला झुन्झुनु (राज०)
किस्म मुकदमा रज्जु दिनांक
धारा 91 एल.आर.एक्ट 15.10.2019

निर्णय दिनांक
04.11.2019

उनवान सरकार बनाम बाबूलाल पुत्र शंकर जाति माली निवासी ढाणा तहसील बुहाना
जिला झुन्झुनु (राज०)

—: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का ढाणा ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम ढाणा की राजकीय भूमि ख० न० 319 कुल रकबा 0.86 है० किस्म गै० मु० नदी मे से 0.50 है० भूमि पर अतिकमी बाबूलाल पुत्र शंकर जाति माली निवासी ढाणा में अवैध रूप से बाड ,छडी कर अनाधिकृत रूप से अतिकमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी उपस्थित व सीताराम सैनी एडवोक्ट वकालतनामा पेश किया व जबाब पेश किया पत्रावली मे शामिल किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिकमी द्वारा राजकीय भूमि में बाड छडी कर अतिकमण किया गया है। अतिकमण किये जाने के फलस्वरूप अतिकमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से बाड, छडी कर अतिकमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 4.94/- का अतिकमण शुदा भूमि के ख० न० 319 लगान 0.50 की 50 गुणा जुर्माना राशि 25/- बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू० अ० निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू० अ० निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिकमित भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।



उप तहसीलदार सिंघाना

दिनांक 04/11/2019
पत्र नं. 25
किस्म मुकदमा 132/2019

ड. बलराम सिंघाना